विधान सभा / अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक : प0 15(1)संसद/09 जयपुर, दिनांक : 27 APR 2011

:: परिपत्र ::

विषय : राज्य सरकार द्वारा गठित समितियों अथवा मण्डलों में एवं जिला स्तरीय समितियों में राजस्थान विधन सभा के माननीय सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया बाबत।

संदर्भ : इस विभाग का परिपत्र संख्या एफ 15 (12) संसद/95 दिनांक 10.5.2000 के क्रम में ।

प्रायः यह देखने में आया है कि राजस्थान विधान सभा से संबंधित पत्र कभी–कभी माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा को संबोधित किए जाते हैं तथा कुछ पत्र तो नामजद प्रेषित हो जाते हैं, जो माननीय अध्यक्ष महोदय के संवैधानिक व गरिमामय पद के अनुरूप नहीं हैं । मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को सीधे विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर स्तर अथवा प्रशासनिक स्तर से पत्र लिखा जाना सुस्थापित संसदीय परम्पराओं के विपरीत है ।

2. इसके अतिरिक्त समितियों के गठन में मा0 विधायकों के मनोनयन हेतु पत्र सीधे ही विधान सभा सचिवालय को संबोधित कर दिए जाते हैं, जो कि सुस्थापित संसदीय परम्पराओं के प्रतिकूल हैं । इस हेतु समितियों के संबंधित वांछित सूचना निम्न प्रारूप में अलग से दो प्रतियों में पत्र के माध्यम से संसदीय कार्य विभाग को ही भिजवाएं ताकि संसदीय कार्य विभाग ही विधान सभा सचिवालय को अपेक्षित सूचना भिजवाते हुए मा0 अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा की सहमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर सके :

क्र0सं0	माननीय विधायक का नाम / विधान सभा क्षेत्र का नाम/विधायक हेतु मनोनीत पद का नाम	समिति का नाम एवं कार्यकाल	किन नियमों एवं उद्देश्यों हेतु समिति का गठन होना है, से संबंधित विवरण
1	2	3	4

समिति में कौन कौन से पद किस– किस श्रेणी के निर्धारित किए गए है?	मनोनयन क्या लाभ के पद पर किया जा रहा है ?	जिस पद पर माननीय विधायक को मनोनीत किया जा रहा है, उनसे संबंधित वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाएं क्या होगी ?	क्या मा. विधायक से स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है?
5	6	7	8

3. भविष्य में किसी विभाग / बोर्ड/जिला कलेक्टर आदि द्वारा राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष के नाम से संबोधित पत्र को, राजस्थान विधान सभा की संवैधानिक स्थिति एवं गरिमा के विपरीत समझा जायेगा तथा विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को प्रदत्त विशेषाधिकारों की अवहेलना की संज्ञा में लेकर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण मुख्य सचिव महोदय के ध्यान में लाया जायेगा ।

4. अतः उक्त निर्देशों की ओर समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव;प्रमुख शासन सचिव; शासन सचिवगण/विभागाध्यक्षों एवं जिला कलेक्टरों का ध्यान आकर्षित किया जाकर अनुरोध है कि माननीय अध्यक्ष को सीधे ही पत्र संबोधित न करें, समिति/मण्डलो/बोर्डो में मा0 विधायक के मनोनयन के संबंध में उक्त सूचना अलग से दो प्रति पत्र के द्वारा प्रशासनिक विभाग के माध्यम से संसदीय कार्य विभाग को भिजवाएं और संबंधित माननीय विधायक के स्वयं की लिखित सहमति एवं समिति के गठन के आदेश की प्रति माननीय विधायकों को वितरित करने की व्यवस्था अपने स्तर पर ही करें ।

5. कृपया परिपत्र की पावती भिजवाने का श्रम करें

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री,राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को उनके पत्रांक एफ 1(13) साशा/ विस/ 2009–11/ 17302 दिनांक 4.4.11 के क्रम में ।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव /शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव
5. समस्त जिला कलेक्टर
6. समस्त विभागाध्यक्ष
7. पत्रावली संख्या एफ 15 (12) संसद/95
8. रक्षित पत्रावली ।

विशेषाधिकारी